भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम आहरण के लिए मांगे गये प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में।

1— प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य निर्वाह निधि पास बुक की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति वर्ष 2018—19 से 2022—23 तक संलग्न है।

2— प्रमाणित किया जाता है कि इस अन्तिम आहरण के पूर्व कोई अन्तिम आहरण नहीं लिया गया है और न ही इससे पूर्व अन्तिम आहरण किया गया है।

3— प्रमाणित किया जाता है कि अस्थाई अग्रिम आदेश संख्या 85 / IXV दिनांकित 22.01.2018 द्वारा अंकन 1,85,000 / —रू0 कोषागार बाउचर संख्या 1355 / 23.01.2018 से लिया गया था जिसकी अदायगी 20 मासिक किश्तो में माह फरवरी 2018 से शुरू किया गया तथा माह अक्टूबर 2019 में समाप्त किया गया, जो पैत्रिक आवास की मरम्मत हेतु लिया गया था।

4— यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अस्थाई अग्रिम बीस मासिक किश्तों वसूल कर लिया गया है जिसकी अन्तिम किश्त माह अक्टूबर 2019 में समाप्त हो चुकी है।

5— यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे भविष्य निधि खाता की पास बुक में समस्त आहरण एवं जमा का अंकन है।

6— यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्वयं द्वारा सत्यापित भविष्य निर्वाह निधि पासबुक जिसमें मेरे द्वारा स्थाई अथवा अस्थाई अग्रिम लिया गया है, साथ में संलग्न है।

7— यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दिनांक 16.03.1996 को न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण किया तथा वांछित मांगी गयी धनराशि भविष्य निर्वाह निधि के नियम 16 (क) (ब) में अनुमन्य है तथा वांछित धनराशि को उपयोग पुत्र की शादी में ही किया जावेगा। शादी का कार्ड साथ में साक्ष्य हेतु संलग्न है। मेरे द्वारा यदि भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से अधिक भुगतान प्राप्त किया जाता है तो मैं उक्त धनराशि को सम्बन्धित खाता / अधिकारी को तुरन्त वापस कर दूंगा।

सादर।

भवदीय,

(डा0 बाल मुकन्द) 17/09/22

पीठासीन अधिकारी,

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,

फतेहपुर। UP-5744

पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
फतेहपुर

दिनांक 17.09.2022